भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3806
12 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

घरेलू इस्पात की मांग में गिरावट

3806. श्री सप्तगिरी शंकर उलाकाः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्त वर्ष 2024-25 में घरेलू इस्पात की मांग में क्षेत्रवार गिरावट के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने डंप किए गए चीनी इस्पात की निरंतर आमद के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उत्पादन हानि और लागत वृद्धि के आंकड़ों सहित कोयले की कमी का इस्पात उत्पादन और मूल्य निर्धारण पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) क्या सरकार का बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए इस्पात पर जीएसटी कम करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री एच. डी. कुमारास्वामी)

(क) भारत में वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए तैयार इस्पात की खपत क्रमशः 136.3 मिलियन टन (एमटी) और 152.1 एमटी थी, जो विगत वित्त वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 में 11.6% की वृद्धि दर्शाती है। इस्पात की खपत करने वाले सभी प्रमुख क्षेत्रों में इस्पात की खपत में वृद्धि हुई है, जिनमें भवन एवं निर्माण, अवसंरचना, ऑटोमोबाइल, रक्षा, इंजीनियरिंग और पैकेजिंग शामिल हैं।

(ख) से (घ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार भारत में इस्पात क्षेत्र के विकास हेतु एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। विगत दो वर्षों में इस्पात की कीमतों में लगभग 11% की कमी आई है और इसका उत्पादन वर्ष 2023-24 में 144.30 एमटी से 5.5% बढ़कर वर्ष 2024-25 में 152.18 एमटी हो गया है। कोकिंग कोल सहित कच्चा माल इस्पात कंपनियों द्वारा प्रौद्यो-आर्थिक विचारों के आधार खरीदा जाता है। सरकार ने इस क्षेत्र को सुविधाजनक बनाने, घरेलू खपत को बढ़ावा देने और आयात को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

i. सरकारी अधिप्राप्ति हेतु 'मेड इन इंडिया' इस्पात को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआईएंडएसपी) नीति का कार्यान्वयन।
ii. देश में 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेश को आकर्षित कर आयात को कम करने के लिए विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की शुरुआत करना।

जारी.........2/-

iii. केन्द्रीय बजट में अवसंरचना संबंधी विस्तार पर जोर दिया जाना।

iv. इनपुट सामाग्री जैसे स्क्रैप, फैरो-निकल आदि पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) का अंशाकन (कैलिब्रेशन) करना।

v. डीजीटीआर द्वारा जांच के आधार पर पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) और प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) लगाना।

vi. कुछ गैर-मिश्रधातु व मिश्रधातु इस्पात फ्लैट उत्पादों के आयात पर 200 दिनों के लिए मूल्यानुसार 12% (बारह प्रतिशत) की दर से अनंतिम सुरक्षा शुल्क लगाना।

vii. घरेलू इस्पात उद्योग को आयात पर विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने हेतु आयात की निगरानी के लिए इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) में सुधार करना।

******